न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 940 सन 2020

अनवान :–

1. अमरसिह पुत्र बेलीराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. आईदान पुत्र बेलीराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. मनीदेवी पुत्री बेलीराम जाति मेधवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर हाल निवासी बुर्जकर्मगढ तहसील व जिला सिरसा
2. सावत्रीदेवी पुत्री बेलीराम जाति मेधवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर हाल बुर्जकर्मगढ तहसील व जिला सिरसा।
3. कमलादेवी पुत्री बेलीराम जाति मेधवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर हाल बुर्जकर्मगढ तहसील व जिला सिरसा।
4. बादामोदेवी पुत्री बेलीराम जाति मेधवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर हाल बुर्जकर्मगढ तहसील व जिला सिरसा।
5. चावलीदेवी पुत्री बेलीराम जाति मेधवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर हाल बुर्जकर्मगढ तहसील व जिला सिरसा।
6. तीजोदवी पुत्री बेलीराम जाति मेधवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर हाल बुर्जकर्मगढ तहसील व जिला सिरसा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 31/12/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 189/181 की कुल 7.5620हैक में 1/3 हिस्सा व खाता संख्या 377/351 की कुल 4.0470हैक में से 1/9 हिस्सा व रोही मौजा चक 3 आरएमजी के खाता संख्या 73/69 की कुल 10.9800हैक में से 2443/21960हिस्सा , व रोही मौजा चक 6 आरएमजी के खाता संख्या 86/85 की कुल 0.2020हैक में से 1/6 हिस्सा व चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 75/74 की कुल 4.5540हैक में से 5059/45540हिस्सा भूमि बेलीराम पुत्र उदमीराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि बेलीराम पुत्र उदमीराम के नाम से दर्ज है बेलीराम पुत्र उदमीराम एवं उसकी पत्नी नाबूबाई का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया है अर्थात बेलीराम पुत्र उदमीराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो बेलीराम पुत्र उदमीराम की कृषि भूमि को विरास्तन से अपने नाम दर्ज करवाने के हकदार है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 वादी की बहने है एवं बेलीराम पुत्र उदमीराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की वाद भूमि उसके पिता बेलीराम पुत्र उदमीराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त होचुका है है बेलीराम पुत्र उदमीराम के जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो विरास्तन से वाद भूमि पाने के हकदार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई वादीगण के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्यात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 189/181 की कुल 7.5620हैक में 1/3 हिस्सा व खाता संख्या 377/351 की कुल 4.0470हैक में से 1/9 हिस्सा व रोही मौजा चक 3 आरएमजी के खाता संख्या 73/69 की कुल 10.9800हैक में से 2443/21960हिस्सा, व रोही मौजा चक 6 आरएमजी के खाता संख्या 86/85 की कुल 0.2020हैक में से 1/6 हिस्सा व चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 75/74 की कुल 4.5540हैक में से 5059/45540हिस्सा भूमि बेलीराम पुत्र उदमीराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि बेलीराम पुत्र उदमीराम के नाम से दर्ज है बेलीराम पुत्र उदमीराम एवं उसकी पत्नी नाबूबाई का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया है अर्थात बेलीराम पुत्र उदमीराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो बेलीराम पुत्र उदमीराम की कृषि भूमि को विरास्तन से अपने नाम दर्ज करवाने के हकदार है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 वादी की बहने है एवं बेलीराम पुत्र उदमीराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 189/181 की कुल 7.5620हैक में 1/3

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

हिस्सा व खाता संख्या 377/351 की कुल 4.0470हैक में से 1/9 हिस्सा व रोही मौजा चक 3 आरएमजी के खाता संख्या 73/69 की कुल 10.9800हैक में से 2443/21960हिस्सा , व रोही मौजा चक 6 आरएमजी के खाता संख्या 86/85 की कुल 0.2020हैक में से 1/6 हिस्सा व चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 75/74 की कुल 4.5540हैक में से 5059/45540हिस्सा भूमि बेलीराम पुत्र उदमीराम के नाम सें दर्ज है।

प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि बेलीराम पुत्र उदमीराम के नाम से दर्ज है बेलीराम पुत्र उदमीराम एवं उसकी पत्नी नाबूबाई का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया है अर्थात बेलीराम पुत्र उदमीराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 189/181 की कुल 7.5620हैक में 1/3 हिस्सा व खाता संख्या 377/351 की कुल 4.0470हैक में से 1/9 हिस्सा व रोही मौजा चक 3 आरएमजी के खाता संख्या 73/69 की कुल 10.9800हैक में से 2443/21960हिस्सा , व रोही मौजा चक 6 आरएमजी के खाता संख्या 86/85 की कुल 0.2020हैक में से 1/9 हिस्सा व चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 75/74 की कुल 4.5540हैक में से 5059/45540हिस्सा भूमि बेलीराम पुत्र उदमीराम के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण वहिव के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीव तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31/12/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डेर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1 अमरसिह पुत्र बेलीराम जाति मेधवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

2 आईदान पुत्र बेलीराम जाति मेधवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1 मनीदेवी पुत्री बेलीराम जाति मेधवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर हाल निवासी बुर्जकर्मगढ तहसील व जिला सिरसा

2 सावत्रीदेवी पुत्री बेलीराम जाति मेधवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर हाल बुर्जकर्मगढ तहसील व जिला सिरसा।

3 कमलादेवी पुत्री बेलीराम जाति मेधवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर हाल बुर्जकर्मगढ तहसील व जिला सिरसा।

4 बादामोदेवी पुत्री बेलीराम जाति मेधवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर हाल बुर्जकर्मगढ तहसील व जिला सिरसा।

5 चावलीदेवी पुत्री बेलीराम जाति मेधवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर हाल बुर्जकर्मगढ तहसील व जिला सिरसा।

6 तीजोदवी पुत्री बेलीराम जाति मेधवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर हाल बुर्जकर्मगढ तहसील व जिला सिरसा।

7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 940 सन 2020 निर्णय दिनांक– 31/12/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपरिथति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 189/181 की कुल 7.5620हैक्ट में 1/3 हिस्सा व खाता संख्या 377/351 की कुल 4.0470हैक्ट में से 1/9 हिस्सा व रोही मौजा चक 3 आरएमजी के खाता संख्या 73/69 की कुल 10.9800हैक्ट में से 2443/21960हिस्सा , व रोही मौजा चक 6 आरएमजी के खाता संख्या 86/85 की कुल 0.2020हैक्ट में से 1/9 हिस्सा व चक 7 आरएमजी के खाता संख्या 75/74 की कुल 4.5540हैक्ट में से 5059/45540हिस्सा भूमि बेलीराम पुत्र उदमीराम के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण बहिच के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 31/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner